

491

**न्यायालय श्रीमान महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
(म.प्र.) के समक्ष**

R. 1320 - I/13

प्रकरण क्रमांक

पेशी दिनांक

1. विक्रम पिता शिवाजीराम
2. अशोक पिता तुलसीराम
जाति चमार, व्यवसाय कृषि
निवसीगण ग्राम छोटामालसापुरा
तहसील व जिला देवास (म.प्र.)

के 4-4-13

मनुज लालकापुरकर

..... प्रार्थीगण

विरुद्ध

1. सेवाराम पिता दयाराम
निवासी ग्राम मेढकी धाकड
तहसील व जिला देवास (म.प्र.)
2. संतोष पिता कंवरजीत सिंह
निवासी ग्राम सुमराखेडी
तहसील व जिला देवास (म.प्र.)
3. महेन्द्र सिंह पिता सत्यनारायण
4. जितेन्द्र सिंह पिता प्रकाश चन्द्र गुप्ता
निवासीगण 16 सिविल लाईन्स देवास (म.प्र.)
5. प्रेम सिंह पिता राजकुमार झाला
निवासी भैरवाखेडी
तहसील व जिला देवास (म.प्र.)

4-13
50

..... प्रतिप्रार्थीगण

3

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. मू. राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत है

प्रकरण के तथ्य :-

श्रीमान अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार देवास द्वारा प्रकरण कं. 61/अ-6/13 एवं 62/अ-6/2013 में की जा रही कार्यवही से असतुष्ट होकर प्रतिप्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा जो प्रकरण स्थापित किया गया है वह विधि विधान एवं प्रस्तुत तथ्यों के प्रतिकूल नहीं होने से स्थगित किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि, प्रतिप्रार्थी द्वारा सर्वे क्रमांक 32/1 पेकी 111/1 पेकी, 134 पेकी, 140/4 पकेकी क्रमशः रकवा 1.40, 0.34, 1.04, 0.15 हेक्टेयर कुल रकवा 2.93 हेक्टेयर की भूमि महेन्द्र सिंह पिता सत्यानरायण झाला व जितेन्द्र पिता प्रकाशचन्द्र गुप्ता एवं प्रेम सिंह पिता राजकुमार झाला एवं सर्वे क्रमांक 32/1 पेकी, 111/1 पेकी क्रमशः रकवा 0.10, 0.10 हेक्टेयर कुल रकवा 0.20 हेक्टेयर की भूमि संतोष पिता कंवरजीत सिंह को दिनांक 23.2.2013 को विक्रय कर दी गई है।
- 3- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार देवास के प्रकरण कं. 8-अ-6/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 26.02.2010 एवं न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के अपील प्रकरण कं. 05/ अपील/ 2009-10 आदेश दिनांक 23.08.2010 एवं नायब तहसीलदार के प्रकरण कं. 16-अ-6 /2008-09 में प्रस्तुत पटवारी खानदान दिनांक 5.4.2009 को भी


3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1320-एक/13

जिला - देवास

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 05-12-18 | <p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p> | |